कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–7/ हिन्दी/विदेश यात्रा/अनुज्ञा/2018/149 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा श्रीमती सपना शाह व्याख्याता हिन्दी राउमावि बोरवट, बांसवाडा को 05.10.2021 से 03.11.2021 कुल तीस दिवस पति से मिलने व भ्रमण करने हेतु दुबई जानी की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

श्रीमती सपना शाह ने अपने पत्र दिनाक 13.11.2021 के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.11.2021 से 12.11.2021 तक दुबई में पति के देखभाल करने के लिए अधिक रूकने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने हेतु लिखा है ।

श्रीमती सपना शाह व्याख्याता हिन्दी को दिनांक 04.11.2021 से 12.11.2021 (कुल 09 दिवस) तक दुबई में रहने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक – शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/विदेश यात्रा–अनुज्ञा/2018/178 दिनांक – 17/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, ...
2 सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
3 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
4 संबधित प्रधानाचार्य, राउमावि,
5 संबधित कार्मिक
6 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

–कार्यालय–आदेश–

घनश्याम ठारवानी (व्याख्याता– सिन्धी साहित्य) राउमावि. सिन्धी देहली गेट, अजमेर जन्मतिथि 18/08/1980 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 22.01.2022 से 24.01.2022 तक 03 दिवस की विदेश यात्रा– दुबई (यू.ए.ई.) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवेः–
   (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (स) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (द) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/विदेश अनुज्ञा/17/695 दिनांकः– 17/01/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.........................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक.........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर